राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की प्रगति की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की दिनांक 13.06.2012 की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति – यथा संलग्न।

सर्वप्रथम गत बैठक की कार्यवाही के अनुपालन की समीक्षा की गयी।

1. प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग द्वारा बताया गया कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध करायी जा चुकी है। ग्यारहवीं योजना के दस उपकेन्द्रों के लिए भूमि उपलब्ध कराने हेतु लम्बित हैं जो विभिन्न चरणों में है। इसके अतिरिक्त तीन विद्युत् उपकेन्द्रों की भूमि यथा देसरी, सहदेई बुजुर्ग एवं बनमा इटहरी के लिए 7/17 की प्रकिया पूरी कर ली गई है, लेकिन भूमि का स्वामित्व प्राप्त होना बाकी है। सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा इस पर त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया।
2. वर्त्तमान में बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड में कुल 25 अदद 11 के0भी0 फीडरों में इनपुट आधारित फ्रेंचाईजी कार्यरत हैं एवं 139 अदद 11 के0भी0 फीडरों के फ्रेंचाईजी हेतु एल0ओ0आई0 निर्गत किया जा चुका है। इन फीडरों में मीटर लगाने का कार्य प्रगति पर है। मीटर लगा कर एकरारनामा किया जाना है। अन्य 11 के0भी0 फीडरों के फ्रेंचाईजी हेतु निविदा निकाली गयी है जो दिनांक 21.06.2012 को खोली जानी है। मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि इनपुट आधारित फ्रेंचाईजी व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाय। इसके बारे में जन–प्रतिनिधियों को बताया जाय ताकि सहभागिता बढ़े। फ्रेंचाईजी के कार्य–कलापों की गहन समीक्षा नियमित रूप से बोर्ड द्वारा की जाय।
3. पावरग्रीड द्वारा बताया गया कि तार एवं अन्य सामानों के चोरी की घटनाओं के कारण अभी भी कई स्थल पर कार्य बाधित हो रहें हैं। उन्होंने यह भी बताया कि स्थानीय थानों में प्राथमिकी दर्ज कराने में काफी कठिनाई होती है। इसे गृह सचिव एवं ए0डी0जी0 (विधि–व्यवस्था) द्वारा गम्भीरता से लिया गया। उनके द्वारा पावरग्रीड एवं अन्य पदाधिकारियों को ऐसे मामलों का विवरण तत्काल उपलब्ध कराने को कहा गया। गृह सचिव एवं ए0डी0जी0 (विधि–व्यवस्था) इस संबंध में अनुवर्त्ती कार्रवाई करेंगें।
4. प्रधान सचिव, ऊर्जा द्वारा बताया गया कि शेरघाटी के दो गाँव एवं पश्चिमी चम्पारण के 19 गाँवों का विद्युतीकरण पर्यावरण एवं वन विभाग की अनुमति हेतु लम्बित हैं। सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा बताया गया कि पश्चिमी चम्पारण जिले के लिए प्रस्ताव उनके द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजा गया है। उन्होंने बताया कि संशोधित परिपत्र के आलोक में उक्त दोनों प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को ही सक्षम बनाये जाने की सूचना है। उन्होंने आश्वस्त किया कि संशोधित प्रावधानों की सम्पुष्टि कर उक्त दोनों प्रस्तावों का निष्पादन शीघ्र कर दिया जायेगा।

5. अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड द्वारा बताया गया कि ग्यारह जिलों के लिए स्वीकृत पूरक डी0पी0आर0 के लिए निविदा की कार्रवाई शीघ्र की जा रही है। इसके लिए पूर्व में निर्गत निविदाओं की कमियों की समीक्षा कर आवश्यक सुधार किया जा रहा है ताकि परियोजना का कार्यान्वयन ससमय सम्पन्न हो जाय।

6. पावरग्रीड एवं एन0एच0पी0सी0 के लम्बित इन्ट्री टैक्स एवं सर्विस टैक्स के भुगतान के बारे में मुख्य अभियंता (ग्रा0वि0) द्वारा बताया गया कि किये गये भुगतान के reconciliation के लिए पावरग्रीड एवं एन0एच0पी0सी0 के स्मारित किया गया है। Reconciliation के उपरान्त भुगतान कर दिया जायेगा।

7. महाप्रबंधक, एन0एच0पी0सी0 द्वारा बताया गया कि उनके पाँच विद्युत् उपकेन्द्र बनकर तैयार हैं लेकिन ऑपरेटर नहीं होने के कारण कार्यरत नहीं हो पा रहें हैं। अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड द्वारा बताया गया कि ऑपरेटरों की व्यवस्था हेतु कार्रवाई की गई है एवं माह के अन्त तक ऑपरेटरों का पदस्थापन कर दिया जायेगा।

8. मुख्य परियोजना प्रबंधक, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने बताया कि ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु बोर्ड में अलग से क्षेत्रीय पदाधिकारियों का पदस्थापन नहीं रहने से काफी व्यवधान होता है। अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड ने बताया कि इसके लिए कार्रवाई की जा रही है एवं शीघ्र हीं अलग से क्षेत्रीय पदाधिकारियों का पदस्थापन कर दिया जायेगा।

9. निदेशक (तकनीकी), ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली द्वारा बताया गया कि तकनीकी दृष्टिकोण से तथा हानि को कम करने के उद्देश्य से बड़ी क्षमता यथा 63 के0भी0ए0 एवं 100 के0भी0ए0 की क्षमता वाले ट्रान्सफॉर्मरों की जगह समुचित संख्या में कम क्षमता (25 के0भी0ए0) के तीन फेज का ट्रान्सफॉर्मर राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत लगाया जाना है। एच0भी0डी0एस0 प्रणाली लाईन क्षति में कमी करने के लिए तकनीकि रूप से बेहतर है। बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड द्वारा अल्यूमिनियम क्वायल, सी0आर0जी0ओ0 कोर तथा स्टार–रेटेड ट्रान्सफॉर्मर का समुचित संख्या में अधिष्ठापन एच0भी0डी0एस0 के अन्तर्गत किया जायेगा। मुख्य सचिव द्वारा इस क्रम में अन्य राज्यों में अपनायी गयी व्यवस्था का अध्ययन कराने का निदेश बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को दिया गया।

ह0/–
(नवीन कुमार),
मुख्य सचिव।

*ज्ञापांक–प्र01/ग्रा0वि0–03/2008–*3007 *पटना, दिनांक–*16/7/12

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

16/7/12
(शम्भु नाथ मिश्र)
संयुक्त सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–प्र०1/ग्रा०वि०–03/2008–3007 पटना, दिनांक– 16/7/12

प्रतिलिपि– विकास आयुक्त, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना / अपर महानिदेशक (विधि व्यवस्था), बिहार, पटना /संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना / अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड, बिहार, पटना / सदस्य (वित्त एवं राजस्व), बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड, बिहार, पटना / सदस्य (प्रशासन), बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड, बिहार, पटना / मुख्य अभियंता (ग्रा०वि०), बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड, बिहार, पटना / निदेशक (तकनिकी), ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली/ महाप्रबंधक, एन०एच०पी०सी०, बिहार, पटना/सहायक प्रबंधक, एन०एच०पी०सी०, पटना/ मुख्य प्रबंधक, पी०जी०सी०आई०एल०, पटना /को सूचनार्थ प्रेषित।

16/7/12

(शम्भु नाथ मिश्र)
संयुक्त सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

9/c